




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

जलेद्वारी देवी

वनाम

बुधराम मुण्डा वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम. 36 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-07/18 दिनांक-17-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>स्वाम 101 एनोट नं० 1414 रकवा 17370 रुमि विवाद को लेकर समय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभयसे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बंध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               614/18              कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;"><u>कमिन्टैरन उपस्थापित। समय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 28-05-18 को रखे।</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               11/5/18         </div>	

11-05-18

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

से मुक्त किया गया। प्रथम पल  
गवारी बन्द की जाती है। द्वितीय पल  
गवारी से गवारा उपोन्नत की दिनांक  
16-11-18 को रखी।

  
26/11/18

16-11-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल  
उपोन्नत द्वितीय पल अधिवक्ता एवरी,  
द्वितीय पल अधिवक्ता झाप गवारी से  
अगली तिथि को गंगा की रीति  
द्वितीय पल गवारी से दिनांक 03-12-18  
को रखी।

  
16/11/18

03-12-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल  
उपोन्नत द्वितीय पल क्रमांक 01 उपोन्नत अन्य  
अनुपोन्नत। इतक बाद में 6 (छ) गार की  
आवधि छूटी है। अर्थात् बाद कालबाधित  
ही गया है। अतः बाद में अभिलेख की कारवाही  
बन्द की जाती है।

  
03/12/18